ECGC

(A Government of India Enterprise)

You focus on exports. We cover the risks.

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

ईसीजीसी लिमिटेड की सचिवीय लेखा परीक्षा करने और तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए इसी तरह की अन्य सेवाओं के लिए कंपनीसचिव फर्म की नियुक्ति

बोलियां प्राप्त त करने की अंतिम तिथि 1500 बजे

दिनांक नवंबर 01, 2022

संदर्भ: ईसीजीसी/सीएस/एफ.सं.70/01/2022-23

दिनांक:

ईसीजीसी लिमिटेड

10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

अनुक्रमणिका

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सेक्शन - 1 बोली दाताओं को निमंत्रण	3
2.	सेक्शन - 2 अस्वीकरण	9
3.	सेक्शन – 3 बोलीदाताओं के लिए निर्देश	10
4.	सेक्शन - 4 अनुबंध प्रदान करने का मानदंड	19
5.	सेक्शन - 5 अनुबंध के नियम और शर्तें	20
6.	सेक्शन-6 अनुलग्नक	21

सेक्शन - 1

1. बोली दाताओं को निमंत्रण

1.1 परिचय

इस अनुरोध दस्तावेज के माध्यम से (जिसे बाद में **'आरएफपी'** के रूप में संदर्भित किया गया है), ईसीजीसी लिमिटेड (जिसे बाद में **'ईसीजीसी'** के रूप में संदर्भित किया गया है), एक कंपनी जो 1957 में स्थापित हुई हैं और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हैं। यह कंपनी मुंबई स्थित प्रोपृयटरशिप/ पंजीकृत साझेदारी फर्मों / सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों और प्रतिष्ठित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों के बॉडी कॉर्पोरेट्स से प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करती है (जिन्हे बाद में **'बोलीदाताओं'** के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। इस आरएफपी में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलीदाताओं की नियुक्ति आपसी सहमति से दो वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है:

(a) सचिवीय लेखा परीक्षा;

(b) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा और प्रमाणपत्र जारी करना जो अन-लिसटेड संस्थाओं पर लागू है; और

(c) फॉर्म एमजीटी-7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी-8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणीकरण।

अन्य दस्तावेजों के साथ 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' केवल भौतिक रूप में प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस आरएफपी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। बोलियां प्रस्तुत करना आरएफपी के सावधानीपूर्वक अध्ययन और उसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ जांच के बाद किया गया माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि आरएफपी में मांगी गई सभी अपेक्षित जानकारी बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी। अधूरी जानकारी दिये जाने पर बोली की संपूर्णता से अस्वीकृति हो सकती है। कंपनी इस आरएफपी में उल्लिखित तारीखों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी और उसे वापस नहीं किया जाएगा। ईसीजीसी इस

आरएफपी और बाद के सभी संशोधनों, यदि कोई हो, को इस आरएफपी में संशोधन, रद्द या फिर से जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधन या परिवर्तन केवल ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

सभी ऑडिट असाइनमेंट के लिए एक साथ बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं पर कोई दायित्व नहीं है। उपर्युक्त अपेक्षित लेखा परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से और लागू सांविधिक /विनियामक /पर्यवेक्षी /प्रशासनिक प्राधिकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी संशोधन सहित लेखा परीक्षा फर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ईसीजीसी द्वारा अभ्यावेदनों/पुष्टियों/आश्वासनों पर जोर दिए बिना उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों/रिपोर्टों के आधार पर लेखा परीक्षा करें। ईसीजीसी कंपनी के पास किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं जानकारी की सीमा तक ऐसे अभ्यावेदनों के दायरे को भी प्रतिबंधित करता है।

कंपनी पर लागू केंद्रीय /राज्य /स्थानीय प्राधिकरणों के क़ानूनों /कानूनों /नियमों /विनियमों /दिशानिर्देशों /निदेशों आदि की सांकेतिक सूची **अनुलग्नक I** में दी गई है। सूची प्रकृति में केवल सांकेतिक है। लेखा परीक्षा करने वाली फ़र्म आवश्यक समझे जाने पर लेखा परीक्षा का दायरा बढ़ा सकता है।

1.2 घटनाओं का शेड्यूल

क्र. सं.	घटना	टाइमलाइन
1.	ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर आरएफपी प्रकाशित करने की तिथि (www.ecgc.in)	टी
2.	प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि*/ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध	टी + 7 दिन
3.	बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि	टी + 25 दिन
4.	तकनीकी बोलियां खोलने की तिथि और समय	वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा
5.	वित्तीय बोलियां खोलने की तिथि और समय	वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा
6.	बोली का चयन	वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा

<u>नोट:</u> कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन योग्य बोलीदाता की नियुक्ति की जाएगी। बोली के पुरस्कार का विवरण ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

बोलियां जमा करने के लिए पता	कंपनी सचिव कंपनी सचिवालय विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र, भारत।
* प्रश्नों के संचार के लिए ई-मेल आईडी	cs@ecgc.in

<u>नोट:</u>

(i) किसी भी घटना के लिए विनिदष्ट अंतिम तिथि के मामले में कंपनी के लिए एक गैर-कार्य दिवस पर पड़ता है, अगला कार्य दिवस बाद की घटनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में किसी भी बदलाव के बिना, इस तरह के आयोजन के लिए अंतिम दिन होगा।

(ii) समयसीमा ईसीजीसी लिमिटेड के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है।

(iii) ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आरएफपी में बोलीदाता द्वारा छेड़छाड़/संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि इसे किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधित पाया जाता है, तो बोली दस्तावेजों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iv) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन के लिए बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम 1 (एक) दिन पहले ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएं।

(v) बोली इस आरएफपी की आवश्यकता के अनुसार सटीक, पूर्ण और निर्धारित प्रारूप में होगी। सभी जानकारी प्रस्तुत करने या इस आरएफपी के अनुरूप नहीं बोली जमा करने में विफलता बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप बोली की अस्वीकृति हो सकती है। बोलीदाता को आरएफपी की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है, और किसी भी अस्पष्टता, विरोधाभास, असंगतता,

अंतर और / या विसंगति के मामले में, बोलीदाता को 'घटनाओं की अनुसूची' के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कंपनी से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगना होगा।

(vi) एमएसएमई और/अथवा एमएसएमई-एससी/एसटी/महिलाएं और/अथवा स्टार्ट अप आदि होने का दावा करने वाले बोलीदाताओं को टर्नओवर की आवश्यकताओं और अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणों आदि के उत्पादन के अध्यधीन वर्षों के अनुभव की संख्या के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचनाओं/अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार छूट और छूट प्राप्त करने की अनुमति है।

1.3 पात्रता मानदंड

1.3.1 बोली लगाने के लिए आवश्यक मानदंड

1.3.1.1 इस आरएफपी के संदर्भ में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (पीसीएस) या तो एक स्वामित्व / एक पंजीकृत साझेदारी फर्म / एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म / प्रतिष्ठित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की बॉडी कॉर्पोरेट होगी, जो कंपनी सचिव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम से कम पांच निरंतर वर्षों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के साथ पंजीकृत होगी। फर्म का वही अर्थ होगा जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 (एफए) के तहत परिभाषित किया गया है।

1.3.1.2 स्वामित्व/फर्म/एलएलपी/बॉडी कॉरपोरेट के मामले में, पीसीएस का मुंबई में एक भौतिक और परिचालन कार्यालय/शाखा कार्यालय होगा, जिसका नेतृत्व लीड पार्टनर्स/निदेशकों में से 1 (एक) द्वारा किया जाएगा, जिसे आईसीएसआई का फेलो सदस्य होना आवश्यक है।

1.3.1.3 स्वामित्व के मामले में, एकमात्र मालिक एक योग्य फेलो कंपनी सचिव होगा, जो कम से कम 10 (दस) वर्षों की निरंतर अवधि के लिए अभ्यास कर रहा हो । साझेदारी फर्म/एलएलपी/बॉडी कॉरपोरेट के मामले में, फर्म/एलएलपी/कंपनी के पास न्यूनतम 2 (दो) भागीदार/नामित भागीदार/निदेशक, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में 1 (एक), जो पांच वर्षों की निरंतर अवधि के लिए कंपनी सचिवों और आईसीएसआई के सदस्यों का अभ्यास करने के योग्य हैं। ऐसी फर्म का कम से कम 1 (एक) भागीदार / नामित भागीदार आईसीएसआई का एक साथी सदस्य होगा जिसके पास पूर्णकालिक अभ्यास अनुभव के कम से कम 10 (दस) वर्ष होंगे और अन्य भागीदार / नामित भागीदार / निदेशक को अभ्यास में कम से कम 5 (पांच) निरंतर वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

1.3.1.4 पीसीएस में कम से कम 4 (चार) कर्मचारी/कार्यरत कर्मचारी (मालिक/भागीदार/नामित भागीदार/निदेशक सहित) होंगे जो मुख्य रूप से सचिवीय अभ्यास, सचिवीय लेखा परीक्षा, कानूनी अभ्यास और संबद्ध परामर्श सेवाओं के कार्य में लगे हुए हैं।

1.3.1.5 पीसीएस ने पिछले 3 (तीन) वर्षों में कम से कम 1 (एक) (i) सूचीबद्ध इकाई को सेवाएं प्रदान की होंगी; और (ii) असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी; या (iii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत बीमा कंपनी; (iv) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

1.3.1.6 पीसीएस को न्यायालय, केंद्र/राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों, आईआरडीएआई, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, आईसीएसआई, सीएंडएजी, एनसीएलटी, डीपीई और एनसीएलएटी आदि सहित किसी भी विनियमन प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा निषिद्ध/प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला जाएगा।

1.3.1.7 प्रोपराइटर/पार्टनर/नामित पार्टनर या फर्म को आईसीएसआई/एमसीए/आरओसी या किसी अन्य नियामक प्राधिकारी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें कोई भी चल रही कार्यवाही/मामले/नोटिस/अपील शामिल है।

1.3.1.8 पीसीएस की सहकर्मी समीक्षा की जाएगी।

1.3.1.9 पीसीएस कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर ईसीजीसी लिमिटेड के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति से संबंधित नहीं होगा।

<u>1.3.2 चयन के लिए वांछनीय मानदंड</u>

1.3.2.1 सचिवीय या अन्य सांविधिक लेखा परीक्षाओं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सेबी सहित कॉरपोरेट कानूनों, श्रम कानूनों, उद्योग-विशिष्ट विनियमों आदि के क्षेत्रों में विविध एक्सपोजर।

1.3.2.2 पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक प्रारंभिक लोक अधिकारी (आईपीओ) की अनुपालन आवश्यकताओं को संभालने में पूर्व अनुभव।

1.3.2.3 पिछले तीन वर्षों में किसी भी निफ्टी 200 या एसएंडपी बीएसई 200 कंपनी (31 मार्च, 2022 तक) के सचिवीय ऑडिट के संचालन का पूर्व अनुभव।

1.3.2.4 पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अभ्यास से 25 लाख रुपये की औसत वार्षिक सकल प्राप्तियां।

1.3.2.4 शेयर्स के डीमैटेरियलाइजेशन को संभालने में पूर्व अनुभव, आईपीओ से पहले उचित परिश्रम का संचालन, ई-वोटिंग, सिस्टम-संचालित अनुपालन प्रबंधन और स्टांप ड्यूटी, आरटीए सेवाओं आदि से संबंधित सलाहकार / परामर्श सेवाओं सहित अनुपालन तंत्र तैयार करना और कार्यान्वित करना।

सेक्शन - 2

2. अस्वीकरण

इस आरएफपी में निहित सूचना या ईसीजीसी द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेजी रूप में बोलीदाताओं को बाद में प्रदान की गई जानकारी, इस आरएफपी में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों पर प्रदान की जाती है, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

यह आरएफपी न तो एक समझौता है और न ही एक प्रस्ताव है और ईसीजीसी द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक पार्टियों को केवल एक निमंत्रण है। इस आरएफपी का उद्देश्य बोलीदाताओं को उनकी बोलियों के निर्माण में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करना है।

यह आरएफपी प्रत्येक बोलीदाता को आवश्यक सभी जानकारी शामिल करने का दावा नहीं करता है। ईसीजीसी इस आरएफपी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में किसी भी कानून, क़ानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं लेगा। ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेक में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, इस आरएफपी में जानकारी को अपडेट, संशोधित या पूरक कर सकता है।

ईसीजीसी किसी भी कारण बताए बिना किसी भी स्तर पर इस आरएफपी के जवाब में प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। ईसीजीसी लिमिटेड के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा चयनित बोलीदाता के साथ औपचारिक अनुबंध/सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने और निष्पादित किए जाने तक बोली प्रक्रिया से कोई संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

सेक्शन - 3

3. बोली लगाने वालों के लिए निर्देश

3.1 सामान्य निर्देश

3.1.1 बोली लगाने से पहले, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे https://www.ecgc.in पर ईसीजीसी की वेबसाइट पर जाएं और आरएफपी और उसमें निहित अनुबंध (टीसीसी) के सामान्य नियम और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करें, यदि आरएफपी या अनुबंध की किसी भी शर्तों के बीच कोई अस्पष्टता या विसंगति प्रतीत होती है, तो मामले को ईसीजीसी को भेजा जाएगा।

3.1.2 बोली लगाने वाला, बोली लगाने के प्रयोजन के लिए, इस आरएफपी में संलग्न सभी प्रपत्रों/दस्तावेजों को सभी प्रकार से पूरा करेगा और बोलीदाता द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति (ओं) को इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए स्थान में प्रत्येक प्रपत्र/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तारीख के साथ हस्ताक्षर करना होगा। बोलीदाता बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना प्रारंभिक भी लगाएगा।

3.1.3 बोली में पता, टेलीफोन नं. और बोली के संबंध में बोलीदाता को दिए जाने वाले अपेक्षित नोटिस देने के प्रयोजनों के लिए बोलीदाता की ई-मेल आईडी।

3.1.4 बोली फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा और इसमें संलग्न किसी भी फॉर्म या दस्तावेज में कोई परिवर्तन या विलोपन या भिन्नता (सभी रिक्त स्थानों को भरने के अलावा) नहीं की जाएगी। संलग्न दस्तावेजों में प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन या परिवर्तन केवल एक अलग कवरिंग पत्र द्वारा किया जाएगा अन्यथा इसे बोली प्रक्रिया के लिए सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.1.5 बोली दाता, बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, दस्तावेजों के विवरण को विशेषाधिकार प्राप्त, गुप्त और गोपनीय मानेगा। इस आरएफपी का अनधिकृत प्रसार या वितरण, और इससे जुड़ा कोई भी अनुलग्नक कड़ाई से निषिद्ध है और इस शर्त का उल्लंघन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या ईसीजीसी लिमिटेड के मालिकाना और बौद्धिक संपदा की रक्षा करने वाले अन्य कानूनों का उल्लंघन कर सकता है।

3.1.6 ईसीजीसी किसी भी बोली या प्राप्त किसी भी अन्य बोली में से सबसे कम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ईसीजीसी के पास आरएफपी को फिर से जारी करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

3.1.7 बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली दस्तावेज सटीक और बिना किसी विलोपन, ओवर-राइटिंग के हों, और अस्पष्ट या समझ से बाहर न हों। ऐसी सभी बोलियों को केवल इसी आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अस्पष्ट या एकत्रित लागत/राशि बोली में शामिल न हो, जो बोली को अयोग्य घोषित कर देगी।

3.1.8 बोलीदाता को प्रत्येक लेखा परीक्षा असाइनमेंट के लिए केवल एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाताओं को कम से कम एक लेखा परीक्षा असाइनमेंट के लिए बोली लगानी होगी।

3.1.9 बोलीदाता सहमत लागत और नियमों और शर्तों पर सगाई की पूरी अवधि के लिए ईसीजीसी द्वारा वांछित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

3.1.10 अधूरी बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी और खारिज कर दी जाएंगी। बोलीदाताओं को यहां दिए गए कार्य के संपूर्ण दायरे के अनुसार ऑडिट असाइनमेंट (असाइनमेंट) का संचालन करना होगा।

3.1.11 सभी दरों और कुल राशि को आंकड़ों और शब्दों दोनों में लिखा जाएगा और यदि दोनों के बीच कोई विसंगति है, तो सबसे कम राशि पर ही विचार किया जाएगा।

3.1.12 अनुलग्नकों में कोई भी प्रश्न या आइटम खाली या अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा। जहां कोई विवरण या उत्तर प्रदान नहीं किया जा सकता है, वहां 'नहीं' या 'शून्य' या 'लागू नहीं' बयान उपयुक्त के रूप में किया जाएगा। रिक्त स्तंभों या अहस्ताक्षरित प्रपत्रों वाले प्रपत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.1.13 आरएफपी की आवश्यकता के अनुरूप न होने वाली बोलियों पर ईसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ईसीजीसी आरएफपी की किसी भी आवश्यकता को माफ करने का अधिकार किसी भी समय सुरक्षित रखता है।

3.1.14 ईसीजीसी द्वारा पंजीकृत कार्यालय या निर्दिष्ट किसी अन्य पते पर, इस दस्तावेज़ के बोली आमंत्रण या कवर पेज में प्रदान की गई "कार्यक्रम की अनुसूची" में निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद में प्राप्त की जानी चाहिए।

3.1.15 ईसीजीसी द्वारा बोलियां पंजीकृत कार्यालय या निर्दिष्ट किसी अन्य पते पर प्राप्त की जानी चाहिए या कवर पेज के अनुसार, बोली के आमंत्रण में प्रदान की गई "घटनाओं की अनुसूची" में निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद नहीं।

3.1.16 ईसीजीसी डाक विलंब या छुट्टियों सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि के भीतर बोलियां प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

3.1.17 निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। कोई बोली वापस नहीं की जाएगी।

3.1.18 ईसीजीसी अपने विवेकाधिकार से बोली दस् तावेज में उपयुक् त निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करके बोलियां प्रस् तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, ऐसे में ईसीजीसी और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित् व जो पहले समय-सीमा के अध् यधीन होंगे, वह इसके बाद विस् तारित समय-सीमा के अध् यधीन होंगे, जिसकी सलाह ईसीजीसी की वेबसाइट के माध् यम से सभी इच् छुक बोलीदाताओं को भी दी जाएगी। हालांकि, बोलीदाताओं को विस्तारित अवधि के दौरान अपनी बोलियां फिर से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.1.19 ईसीजीसी किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को रद्द करने और प्रभावित बोलीदाताओं को कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में ईसीजीसी द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं।

3.1.20 ईसीजीसी बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की वैधता को सत्यापित करने और किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां सामग्री बोली की प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के अवार्ड के बाद भी आंशिक रूप से या पूरी तरह से गलत पाई जाती है।

3.1.21 इस आरएफपी के माध् यम से मांगी गई लेखा परीक्षा असाइनमेंट (असाइनमेंटों) के लिए बोलियां निम् नलिखित मामलों में अस् वीकार की जा सकती हैं:

i. बोलियां आरएफपी के अनुसार और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं;

ii. प्राप्त बोलियां अधूरी हैं;

iii. बोलियों के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं;

iv. निविदाएं निर्धारित नियत तिथि के बाद प्राप्त की जाती हैं।

v. बोलीदाता ईसीजीसी द्वारा मांगी गई अतिरिक् त सूचना या स् पष् टीकरण प्रस् तुत करने में देरी कर रहा है।

vi. बोलियों में टालमटोल या गलत जानकारी होती है;

vii. बोलियां सशर्त हैं;

viii. एक ही बोलीदाता से एक ही लेखा परीक्षा असाइनमेंट (असाइनमेंट) के लिए कई बोलियां प्राप्त होती हैं;

ix. बोली लगाने वाले के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोलियों पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं;

x. बोलियों में उम्मीदवारी का कोई प्रचार होता है;

xi. बोलियां सीलबंद स्थिति में प्राप्त नहीं होती हैं; और

xii. बोलियां अन्य बोलीदाताओं के सहयोग से कार्टेल के गठन को इंगित करती हैं।

3.1.22 एक बार प्रस्तुत की गई बोलियों को संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

3.1.23 बोलीदाता बोली तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा। किसी भी परिस्थिति में ईसीजीसी बोली प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना बोलीदाता द्वारा वहन किए गए किसी भी खर्च के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

3.2 काम का दायरा

कार्य का विस्तृत दायरा इस आरएफपी के अनुबंध **I** में दिया गया है। कार्य का दायरा केवल सांकेतिक प्रकृति का है। फर्म जो ऑडिट असाइनमेंट आयोजित करती है**,** कंपनी को लिखित रूप में पूर्व सूचना के साथ आवश्यक समझे जाने पर ऑडिट का दायरा बढ़ा सकती है।

3.3 ईसीजीसी के अधिकार

i. ईसीजीसी सबसे कम उद्धरण को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और किसी भी कारण बताए बिना प्राप्त किसी भी या सभी उद्धरणों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ii. बोलियों को संसाधित करते समय, ईसीजीसी आरएफपी या कार्य क्षेत्र में निहित किसी भी आइटम या अनुभाग को बिना कोई कारण बताए हटाने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii. यदि एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान शुल्क उद्धृत किया जाता है, तो संबंधित बोलियों को प्रदान की गई तकनीकी योग्यता के आधार पर रैंक किया जाएगा। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

3.4 प्रोफेशनल स्टाफ

चयनित बोलीदाता ईसीजीसी को उन पेशेवर कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करेगा जो इस आरएफपी के **अनुलग्नक VIII** के तहत प्रदान किए गए प्रारूप में ऑडिट असाइनमेंट (असाइनमेंट) का संचालन करने के लिए प्रस्तावित हैं।

3.5 पूछताछ

i. इस दस् तावेज या चयन प्रक्रिया के किसी भी खंड के संबंध में कोई प्रश् न रखने वाले बोलीदाताओं को इस आरएफपी के **अनुलग्नक IV** में दिए गए प्रारूप में इस आरएफपी के जारी होने के 7 दिनों (सात दिनों) के भीतर अपनी चिंता व् यक् त करनी होगी। ईसीजीसी 'कार्यक्रमों की अनुसूची' में दिए गए 7 दिनों (सात दिन) की समयसीमा से परे किसी भी प्रश्न या चिंताओं के प्रति कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. इस आरएफपी में कोई भी संशोधन शुद्धिपत्र के रूप में जारी किया जाएगा और ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यह इस आरएफपी का हिस्सा होगा।

3.6 बोली लगाने की प्रक्रिया

3.6.1 बोलीदाता अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां **'तकनीकी बोली'** और **'वित्तीय बोली'** के रूप में अंकित दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत कर सकते हैं। इन लिफाफों को विधिवत सील किया जाना है और **"ईसीजीसी लिमिटेड की सचिवीय लेखा परीक्षा करने और इसी तरह की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्मों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध"** लिखा हुआ एक सीलबंद गैर-खिड़की लिफाफे में प्रदान किया जाना है।

3.6.2 बोली पर बोलीदाता या बोलीदाता को संविदा से बांधने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। लिफाफा ईसीजीसी को संबोधित किया जाएगा। बोलियां प्रस्तुत करने के

दौरान, बोलीदाता इस आरएफपी की धारा 3 में दिए गए सामान्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। लिफाफों में निम्नलिखित क्रम में पूरी तरह से भरे हुए दस्तावेज होंगे:

लिफाफा I:

i. अनुलग्नक II: तकनीकी बोली का प्रोफार्मा

ii. अनुलग्नक V: पावती पत्र

iii. अनुलग्नक VI: घोषणा

iv. अनुलग्नक VIII: व्यावसायिक कर्मचारियों का विवरण

लिफाफा II:

i. अनुलग्नक III: वित्तीय बोली का प्रोफार्मा

ii. अनुलग्नक VII: बैंक विवरण

3.6.3. सभी लिफाफे कवर पर बोलीदाता के नाम और पते को इंगित करेंगे।

3.6.4. यदि कोई लिफाफा सील और/या चिह्नित नहीं है, तो ईसीजीसी को किसी भी मिसप्लेसमेंट या ऐसी बोली के समय से पहले खोलने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3.6.5. प्रस् तावित लेखा परीक्षा शुल् क (शुल् क) केवल इस आरएफपी के अनुलग् नक III में वित् तीय बोली प्रस् तुत करने के लिए उपलब् ध कराए गए प्रारूप में भारतीय रुपये में उद्धृत किए जाने हैं।

3.6.6. उद्धृत प्रस्तावित लेखा परीक्षा शुल्क (शुल्क) सभी केंद्र/राज्य सरकार के लेवी, करों (जीएसटी सहित) के रूप में लागू से अनन्य होगा।

3.6.7. बोलीदाता द्वारा उद्धृत प्रस्तावित लेखा परीक्षा शुल्क अनुबंध के बोलीदाता के प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया जाएगा और अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित किसी भी खाते में भिन्नता के अधीन नहीं होगा। केंद्र या राज्य सरकारों, या वैधानिक, अर्ध-सरकारी निकायों, या नियामकों द्वारा लगाए गए करों / शुल्कों / लेवी / उपकर आदि को वास्तविक के अनुसार चार्ज किया जा सकता है, और उन्हें विविध होने की अनुमति है।

3.6.8. समायोज्य शुल्क उद्धरण के साथ या किसी भी दो या अधिक लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए एकत्रित राशि के साथ प्रस्तुत किसी भी वित्तीय बोली को गैर-अनुरूप माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.7 बोलियों की वैधता की अवधि

3.7.1 बोलियां बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी। उद्धृत शुल्क (ओं) अनुबंध की मुद्रा के दौरान तय रहेगा जब तक कि अन्यथा ईसीजीसी द्वारा सहमति न हो। बोलीदाता इस अवधि के दौरान बोली की विषयवस्तु या उसमें निहित किसी भी अवधि को रद्द करने या बदलने का हकदार नहीं होगा। बोली जमा करने के बाद किसी भी भिन्नता के मामले में, ऐसी बोली को "अस्वीकृत" माना जाएगा।

3.7.2 असाधारण परिस्थितियों में, ईसीजीसी उन्हीं नियमों और शर्तों पर बोली की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाता की सहमति मांग सकता है। अनुरोध और उसके जवाब लिखित में होंगे। इस बिंदु पर, एक बोलीदाता किसी भी भविष्य के आरएफपी या किसी भी प्रतिबंध से बहिष्कार के जोखिम के बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

3.7.3 यदि आवश्यक समझा जाता है, तो बोली की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नए उद्धरणों के लिए कॉल करने का अधिकार कंपनी सुरक्षित रखती है।

3.8 बोलियों को खोलना और उनका मूल्यांकन

3.8.1 ईसीजीसी द्वारा बोलियां खोलना

3.8.1.1 ईसीजीसी आरएफपी में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के तुरंत बाद बोलियों को खोलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.8.1.2 ईसीजीसी यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, आवश्यक दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत की गई है, दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, और बोलियां आम तौर पर क्रम में हैं।

3.8.1.3 विस्तृत मूल्यांकन से पहले, ईसीजीसी आरएफपी के लिए प्रत्येक बोली की जवाबदेही निर्धारित करेगा। इन खंडों के प्रयोजनों के लिए, एक उत्तरदायी बोली वह है, जो बिना किसी विचलन के आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

3.8.1.4 ईसीजीसी द्वारा केवल उन्हीं बोलीदाताओं और बोलियों को आगे विस्तृत मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा जो प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान इस आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुरूप पाए गए हैं।

3.8.1.5 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों के हिस्से के रूप में आरएफपी के किसी भी खंड के साथ कोई आपत्ति नहीं होने की घोषणा करते हुए **अनुलग्नक VI** के तहत प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार, अपने लेटर हेड पर एक विवरण प्रदान करना होगा।

3.8.1.6 कोई भी बोलीदाता वित्तीय बोली खोलने के समय से अनुबंध प्रदान किए जाने तक अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले के बारे में ईसीजीसी के किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं करेगा।

3.8.1.7 बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध प्रदान करने के अपने निर्णयों में ईसीजीसी को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली की अस्वीकृति हो सकती है और ईसीजीसी के साथ भविष्य के किसी भी आरएफपी / अनुबंध / व्यवसाय से ऐसे बोलीदाता को वंचित किया जा सकता है।

3.8.2. बोलियों का मूल्यांकन

इस आरएफपी में उल्लिखित अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा:

एस. नं.	चयन मापदंड	अंक देने का आधार	अधिकतम अंक
1.	कर्मचारी के रूप में अभ्यास में अनुभव (आईसीएसआई के वर्तमान एकल सदस्य का अधिकतम अनुभव माना जाएगा)	सीओपी धारण करने के प्रत्येक पूर्ण और निरंतर वर्ष के लिए 0.5 अंक	4
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सचिवीय लेखा परीक्षा में अनुभव / डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन का प्रमाणन / पिछले तीन वर्षों में वार्षिक रिटर्न का प्रमाणन	सीपीएसई के प्रत्येक पूर्ण कार्य के लिए 0.5 अंक।	6 (प्रत्येक गतिविधि के लिए 2 अंक)

3.	भागीदारों/कर्मचारियों के रूप में सदस् यों की संख् या	आईसीएसआई के फेलो सदस्य के लिए 1 अंक और आईसीएसआई के एसोसिएट सदस्य के लिए 0.5 अंक।	4
4.	प्रमुख ग्राहकों (एनएसई 200/बीएसई 200) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा की है।	एनएसई 200/बीएसई 200 से प्रत्येक ग्राहक के लिए 1 अंक और एनएसई या बीएसई सूचीबद्ध संस्थाओं से एक-दूसरे के ग्राहक के लिए 0.5 अंक	5
5.	बीमा कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा की है।	प्रत्येक ग्राहक के लिए 1 अंक	3
6.	फर्म की विविध संरचना	प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्र के लिए 0.5 अंक	3
7.	तत्काल पिछले दो वर्षों में लिस्टिंग, उचित परिश्रम, अनुपालन प्रबंधन में अनुभव	प्रति कंपनी प्रति गतिविधि 1 अंक	5
		कुल	**30**

3.9. कार्य की अवधि

चयनित बोलीदाता की नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में 1 (एक) वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगी और इसमें उसी शुल्क (शुल्कों) और अन्य नियमों और शर्तों पर बाद के 2 (दो) वर्षों के लिए वार्षिक रूप से फिर से नियुक्त करने का प्रावधान होगा, जो भूमि के नियमों या विनियमों या कानूनों में परिवर्तन के अधीन होगा; और चयनित बोलीदाता द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन। पुनर्नियुक्ति आपसी सहमति से होगी।

सेक्शन - 4

4. संविदा प्रदान करना

बोलीदाता जो तकनीकी दौर को अर्हता प्राप्त करता है और वित्तीय दौर में सबसे कम बोली लगाता है, उसे अनुबंध प्रदान किया जाएगा। हालांकि, ईसीजीसी प्राप्त न्यूनतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। ईसीजीसी सफल बोलीदाता को पत्र या ई-मेल द्वारा लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। पुरस्कार की अधिसूचना अनुबंध के लिए एक प्रस्ताव के गठन का गठन करेगी। चयनित बोलीदाता को पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी डुप्लिकेट प्रति संचार प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर लौटाकर अनुबंध के पुरस्कार की स्वीकृति से अवगत कराएगा। यदि चयनित बोलीदाता पुरस्कार स्वीकार करने में विफल रहता है, तो बोलीदाताओं के बीच अगली सबसे कम वित्तीय बोली रखने वाले बोलीदाता (बोलीदाता के अलावा जो पुरस्कार स्वीकार करने में विफल रहा है) को पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा और इसी तरह। सफल बोलीदाता को ठेका दिए जाने के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर एक प्रधान सेवा समझौता निष्पादित करना होगा, जो इस आरएफपी में उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगा। उसी का मसौदा **अनुलग्नक IX** के रूप में नीचे संलग्न है। ईसीजीसी हस्ताक्षर किए जाने से पहले उक्त मसौदा समझौते में निर्धारित किसी भी या सभी शर्तों को बदलने / बदलने / संशोधन / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सेक्शन - 5

5. अनुबंध के नियम और शर्तें (टीसीसी)

जैसा कि **अनुलग्नक IX** में प्रधान सेवा समझौते के मसौदे में कहा गया है।

सेक्शन - 6

6. अनुलग्नक

1. अनुलग्नक I: कार्य क्षेत्र
2. अनुलग्नक II: तकनीकी बोली का प्रोफार्मा
3. अनुलग्नक III: वित्तीय बोली का प्रोफार्मा
4. अनुलग्नक IV: प्रश्नों का प्रारूप
5. अनुलग्नक V: पावती पत्र
6. अनुलग्नक VI: घोषणा
7. अनुलग्नक VII: बैंक विवरण
8. अनुलग्नक VII: पेशेवर कर्मचारियों का विवरण
9. अनुलग्नक IX: सेवा समझौता

अनुलग्नक I

काम का दायरा

क. **सचिवीय लेखा परीक्षा** के दायरे में निम्नलिखित संविधियों/कानूनों अधिनियमितियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन तक ही सीमित नहीं है, तथा संशोधन भी शामिल है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) आईसीएसआई द्वारा प्रख्यापित सचिवीय मानक;

(iii) कंपनी के एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ज्ञापन;

(iv) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश, 2010;

(v) भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के लिए आईआरडीएआई के दिशानिर्देश; और

(vi) श्रम कानून, वित्तीय कानून और फेमा, 1999, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सहित कोई अन्य कॉरपोरेट कानून, जो कंपनी पर लागू हो। समय-समय पर यथा संशोधित लागू सांविधिक और विनियामक कानूनों और विनियमों की सूची निम्नानुसार है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम;
2. बीमा अधिनियम 1938 और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2015;
3. आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम;
4. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश, 2010;
5. प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)
6. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
7. आयकर अधिनियम, 1961;
8. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
9. संबंधित राज्यों पर लागू व्यावसायिक कर;
10. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;
11. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;
12. महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम/ भारतीय स्टांप अधिनियम;
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
15. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976;
16. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
17. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;
18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
19. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;
20. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936;
21. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार के विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979;
22. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970;
23. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986;
24. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;
25. कर्मचारी भविष्य निधी और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
26. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;
27. पेंशन निधि विनियामक और विकास अधिनियम, 2013;
28. पेंशन अधिनियम, 1871;
29. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
30. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
31. बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1948;
32. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006;
33. वेतन संहिता, 2019;
34. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020;
35. व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020;
36. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसार लेखा परीक्षा और कॉरपोरेट शासन प्रमाणपत्र जारी करने की गुंजाइश में दस्तावेजों का सत्यापन, अभिलेखों की जांच, अनुपालन, आवश्यक दस्तावेज, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार कॉरपोरेट शासन के लिए प्रासंगिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा चेकलिस्ट तैयार करना या उसी के अधिक्रमण में जारी ऐसे कोई दिशानिर्देश शामिल हैं।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-8) की लेखा परीक्षा और प्रमाणन तथा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की गुंजाइश में दस्तावेजों के सत्यापन, अभिलेखों की जांच, अनुपालन, आवश्यक दस्तावेजों, लेखा परीक्षकों द्वारा चेकलिस्ट तैयार करने और फॉर्म एमजीटी-7 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और वार्षिक रिटर्न से संबंधित किसी अन्य संबद्ध प्रमाणन/फाइलिंग के आधार पर एमजीटी-8 जारी करना शामिल है।

नोट्स:

1. पैरा-ए की सूची केवल सांकेतिक प्रकृति की है। ऑडिट करने वाली फर्म आवश्यक समझे जाने पर ऑडिट का दायरा बढ़ा सकती है।
2. ऑडिट प्रक्रिया मुंबई में ईसीजीसी कार्यालय के परिसर में होगी।
3. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह मौजूदा अनुपालन ढांचे, आंतरिक नियंत्रणों और जांचों, गैर-अनुपालन से बचने के लिए विभागों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का गंभीर रूप से आकलन करेगा, यदि कोई हो, और मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगा।
4. अवधि के दौरान सांविधिक गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन/विचलन के उदाहरणों का पता लगाना कार्य के दायरे का हिस्सा है।
5. चयनित बोलीदाता की समग्र जिम्मेदारी सभी लागू विनियामक और वैधानिक प्रावधानों के साथ कंपनी की अनुपालन स्थिति की जांच और आकलन करना है।
6. चयनित बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित परिश्रम के साथ और पेशे के प्रचलित मानकों के अनुसार अपना कार्य पूरा करेगा। चयनित बोलीदाता प्रतिमा के तहत अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. चयनित बोलीदाता प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार होगा। बोलीदाताओं के कर्मचारी/कर्मचारियों/सहयोगियों की संख्या के आंतरिक आकार बदलने से इस आरएफपी के अनुसार या किसी अन्य कारण से लेखा परीक्षा असाइनमेंट के पूरा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक II

<u>तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा</u>

(पीसीएस के लेटर हेड पर)

प्रति,

कंपनी सचिव.

ईसीजीसी लि.

10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स,

नरीमन पॉइंट

मुंबई 400021.

महाराष्ट्र

भारत

क्र सं	ब्यौरे
1.	फर्म का नाम: फर्म का पंजीकृत पता: पता पंक्ति 1: पता पंक्ति 2: पता पंक्ति 3: फर्म का गठन (एकमात्र स्वामित्व / साझेदारी फर्म / एलएलपी / बॉडी कॉर्पोरेट): (यदि आवश्यक हो, तो अधिक जानकारी के लिए अलग शीट संलग्न करें) पंजीकरण की तिथि: (i) लीड पार्टनर/व्यक्तिगत/निदेशक/प्रोप्राइटर प्रभारी का नाम (ii) प्राधिकृत प्रतिनिधियों/हस्ताक्षरकर्ताओं का पूरा नाम और संपर्क विवरण। (iii) ईमेल आईडी:

	(iv) लैंड लाइन (यदि कोई हो) (v) मोबाइल सं.
2.	लीड पार्टनर/व्यक्तिगत/निदेशक/प्रोपराइटर प्रभारी से संबंधित विवरण (i) योग्यता - क. शैक्षिक - ख. व्यावसायिक - (ii) अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें): (iii) अभ्यास शुरू करने की तिथि: (iv) प्रैक्टिस के प्रमाणपत्र (सीओपी) नंबर तथा इसकी वैधता (v) सहकर्मी समीक्षा संख्या (vi) वर्तमान में संगठन आदि के विवरण के साथ वर्तमान में आयोजित स्थिति (या तो एक कर्मचारी या सलाहकार या अन्य के रूप में)। (vii) अन्य फर्म में धारण पद का विवरण, यदि कोई हो (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
3.	मुंबई में कार्यालय का विवरण: डाक का पता: टेलीफोन नं. फ़ैक्स संख्या:
4.	सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों तथा बीमा कंपनियों सहित मुख्य उपभोगताओं की सूची
5.	अयोग्यता का विवरण, यदि कोई हो

6.	किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों की सूची जिनके लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी और पिछले पांच वर्षों में पूरा किया गया था।
7.	निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति: • (i) आईसीएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र • (ii) प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र • (iii) सहकर्मी समीक्षा • (iv) क्रमवार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लाभ-हानि बही की स्वप्रमाणित प्रति • (v) पीसीएस का पैन • (vi) पीसीएस की जीएसटी संख्या
8.	संलग्न प्रारूप में प्रदान की गई स्व-घोषणा (**अनुलग्नक VI**): ☐हाँ नहीं☐
9.	आईटीआर/बैलेंस शीट के आधार पर पूर्ववर्ती 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में पीसीएस की वार्षिक सकल प्राप्तियां (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
10.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो, अतरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)

#कृपया उपर्युक्त तकनीकी बोली में से 4 में प्रदान की गई व्यस्तताओं के समर्थन में प्रदान की गई सेवाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ नियुक्ति पत्र संलग्न करें।

तकनीकी बोली का हिस्सा बनने वाली चेकलिस्ट का प्रारूप

(एक अलग शीट पर प्रदान किया जाना है)

क्र. सं	आवश्यक विवरण या दस्तावेज़	ब्यौरा प्रदान की गया/ संलग्न है (टिक)			पृष्ठ सं.
		हाँ	नहीं	लागू नहीं है	
1.	पीसीएस का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण, आदि)				
2.	प्रैक्टिस के प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति				
3.	एकमात्र मालिक/भागीदार (रों)/नामित भागीदार (भागीदारों)/निदेशक (कों) का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण, आदि)				
4.	प्रोपराइटर/पार्टनर (ओं)/नामित साझेदार(साझेदारों)/निदेशक (ओं) की आईसीएसआई सदस्यता की स्व-सत्यापित प्रति				
5.	मुंबई में कार्यालय का पता				
6.	भारत और विदेशों में अन्य शाखाओं का विवरण				
7.	प्रमुख ग्राहकों की सूची				
8.	किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों की सूची जिनके लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी और पिछले पांच वर्षों में पूरा किया गया था।				
9.	पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (वित्त वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं होने पर वित्त वर्ष 2018-19) के लिए पीसीएस के लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट की स्व-सत्यापित प्रति				

10.	संलग्न प्रारूप में स्व-घोषणा				
11.	विधिवत हस्ताक्षरित पावती पत्र				
12.	पीसीएस के पैन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी				
13.	पीसीएस के जीएसटी सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी				
14.	पीसीएस का टर्नओवर - आईटीआर या बैलेंस शीट के अनुसार				
15.	पीसीएस का बैंक खाता विवरण - रद्द चेक				
16.	सहकर्मी की समीक्षा की स्व-सत्यापित प्रति				

घोषणा –

1. ऊपर मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है।

2. मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि मेरे द्वारा संलग्न पत्रकों/अनुलग्नकों में सूचीबद्ध कार्य के बारे में पूछताछ की जाती है।

3. हमने आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों और उसमें निहित निर्देशों को पढ़ा और समझा है। वही मुझे/हमें स्वीकार्य है।

.....

हस्ताक्षर:

बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

औहदा:

बोली दाता की मुहर:

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक III

वित्तीय बोली का प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं को प्रत्येक लेखा परीक्षा सेवा के लिए बोली के व्यक्तिगत कोटेशन प्रदान करना आवश्यक है)

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म का नाम:

_____

पता: _____

_____

संपर्क व्यक्ति का नाम: _____

फोन नंबर: _____

ईमेल: _____

वेब साइट: _____

हम वित्तीय बोली के लिए अपना उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

क्र. सं.	**वर्णन**	**रुपये में शुल्क (आंकड़ों में) (करों को छोड़कर) ***
1.	ईसीजीसी लिमिटेड की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए शुल्क।	
2.	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा और कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क	
3.	फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणन के लिए शुल्क और फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करना	

* करों का भुगतान ऊपर उद्धृत शुल्क के अनन्य रूप से किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है।

नोट्स:

1. उद्धृत शुल्क आईएनआर में और केवल दो दशमलव अंकों में होगा।

2. उद्धृत शुल्क सभी खर्चों को शामिल करेगा। आगामी अनुबंध के दौरान बोलीदाता द्वारा किए गए आकस्मिक व्यय के लिए किसी भी भुगतान पर ईसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3. करों का भुगतान ऊपर उद्धृत शुल्क के अनन्य रूप से किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि लागू हो, तो ईसीजीसी भुगतान जारी करते समय कर (टीडीएस) और अन्य सभी लागू करों, लेवी, उपकर आदि की कटौती करेगा।

4. उद्धृत शुल्क आगामी अनुबंध के पूरे कार्यकाल के लिए मान्य होगा। बोली दाता द्वारा उद्धृत शुल्क के भुगतान में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

5. ईसीजीसी ऑडिट असाइनमेंट के पूरा होने पर और इस आरएफपी में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क के अनुसार भुगतान प्रेषित करेगा।
6. ईसीजीसी सफल बोलीदाता के साथ मील के पत्थर / भुगतान अनुसूची / प्रतिशत पर बातचीत करने और बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. बोलीदाता आरएफपी में परिकल्पित सभी सुपुर्दगी योग्य वस्तुओं की सुपुर्दगी करने और आरएफपी में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर असाइनमेंट पूरा करने का वचन देता है।

.....

बोलीदाता के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सील और स्टांप के साथ

नाम:

औहदा:

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक IV

<u>प्रश्नों के लिए स्वरूप</u>

क्र. सं.	बोली लगाने वाले का नाम	पृष्ठ संख्या (आरएफपी के सम्बंधित)	खण्ड संख्या (आरएफपी के सम्बंधित)	आरएफपी में विवरण	सवाल
1.					
2.					

<u>नोट</u>: प्रश्नों को <u>cs@ecgc.in</u> को मेल किया जाएगा। प्रश्नों के उत्तर ईसीजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे या संबंधित बोलीदाता को ईमेल किए जाएंगे। टेलीफोन पर या ई-मेल के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक V

<u>पावती पत्र</u>

<u>(पीसीएस के लेटर हेड पर - सभी तीन ऑडिट सेवाओं के लिए समान)</u>

प्रति,

कंपनी सचिव,

ईसीजीसी लिमिटेड,

एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंजिल,

नरीमन प्वाइंट

मुंबई- 400021

दिनांक:

प्रिय सर/मैडम,

<u>विषय: ईसीजीसी लिमिटेड की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब और इसी तरह की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए।</u>

1. यहा संलग्न अनुलग्नकों सहित प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति विधिवत रूप से स्वीकार की जाती है, मै / हम, बोली में हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क (शुल्कों) के अनुसार आरएफपी में उल्लिखित कार्य क्षेत्र के अनुसार सेवा (ओं) प्रदान करने के लिए अधोहस्ताक्षरी प्रस्ताव।

2. हमारी बोली (बोलियों) के चयन की स्थिति में, मैं/ हम इस आरएफपी में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

3. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने ईसीजीसी द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रदान की है। हम यह भी समझते हैं कि ईसीजीसी को किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि ईसीजीसी को पता चलता है कि आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई है या किसी अन्य कारण से मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि ईसीजीसी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

4. हम इस बात से सहमत हैं कि ईसीजीसी बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इस आरएफपी और सभी संशोधनों में संशोधन, निरस्त या पुन: जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि हमें इस आरएफपी में निहित किसी भी खंड पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमें किसी भी विनियमन प्राधिकारी/एजेंसियों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या प्रतिबंधित/निषिद्ध नहीं किया गया है।

.....

बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी सील)

नाम:

औहदा:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

अनुलग्नक VI

<u>घोषणा</u>

<u>(फर्म के लेटर हेड पर)</u>

मैं/हम _____, श्री ____ का पुत्र/पुत्री, _____ में _____ के रूप में कार्य कर रहे हैं हम, प्रोपराइटरशिप/फर्म/बॉडी कॉरपोरेट की ओर से घोषणा और प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने इस आरएफपी में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और मैं/हम अपनी/हमारी बोली के चयन की स्थिति में आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

2. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि मैसर्स _____ मैं/हम घोषणा करते हैं कि आईआरडीएआई, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, सीएजी, आईएआई, आईसीएसआई, एनसीएलटी आदि सहित किसी भी विनियमन प्राधिकारी/एजेंसी द्वारा मेरे/हमारे स्वामित्व/फर्म/बॉडी कॉरपोरेट को निषिद्ध/प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया था।

3. मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है। मुझे / हमारे द्वारा प्रदान किए गए किसी भी काम / ग्राहकों के बारे में ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा की गई किसी भी पूछताछ के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

4. मैं / हम एतद्द्वारा सहमत हैं और वचन देते हैं कि मैंने सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से पेशकश, या वादा दिया है और न ही मैं / हम हमारे आरएफपी / बोली के प्रसंस्करण और / या मूल्यांकन में शामिल ईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी को या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई सामग्री या कोई अन्य लाभ प्रदान करते हैं, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, हमारी बोली (ओं) के प्रसंस्करण और / या मूल्यांकन से पहले या बाद में किसी भी प्रकार के लाभ के बदले में।

.....

बोलीदाता के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सील और स्टांप के साथ

नाम:

औहदा:

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक VII

बैंक विवरण

क्र. सं.	वर्णन	विवरण
1.	लाभार्थी का नाम	
2.	बैंक का नाम	
3.	बैंक का पता	
4.	बैंक शाखा आईएफएससी कोड	
5.	बैंक खाता संख्या	
6.	खाते का प्रकार	

.....

बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी सील)

नाम:

औहदा:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

अनुलग्नक VIII

<u>पेशेवर कर्मचारियों का विवरण</u>

<u>ऑडिट असाइनमेंट (ओं) के लिए लगे हुए पेशेवर कर्मचारियों का विवरण –</u>

<u>क. सचिवीय लेखा परीक्षा</u>

<u>ख. लेखा परीक्षा और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सीजी प्रमाण पत्र जारी करना</u>

<u>ग. फार्म एमजीटी दाखिल करने के साथ एमजीटी-8 की लेखा परीक्षा और निर्गम - 7</u>

<u>(जो भी लागू नहीं है, हड़ताल करें)</u>

(परियोजना में शामिल होने की संभावना वाले प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए अलग शीट)

1. कर्मचारी का नाम:
2. ई-मेल आईडी:
3. फोन नंबर (कार्यालय):
4. मोबाइल नं:
5. कंपनी/फर्म में काम करने की तिथि:
6. व्यावसायिक योग्यता:
7. अनुभव:

क्र. सं.	**इसी तरह किए गए के कार्यों का विवरण**	**भारत/विदेश में शुरू की गई सेवाओं और उस संगठन का संक्षिप्त विवरण जहां असाइनमेंट किया गया था**	**अवधि: से तक करने के लिए**
1.			
2.			
3.			
4.			

<u>नोट:</u> हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कर्मचारी (ओं) को आरएफपी के अनुसार ईसीजीसी की आवश्यक लेखा परीक्षा करने के लिए सौंपा जाएगा।

अनुलग्नक IX

एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का मसौदा तैयार किया जाए

(नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

प्रधान सेवा समझौता (इसके बाद **"अनुबंध"** या **"समझौता"** नामक संलग्न परिशिष्टों के साथ) इस पर किया जाता है ..... का दिन 2022

द्वारा और बीच में

ईसीजीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021 (इसके बाद "ईसीजीसी" / "कंपनी" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी, अधिकृत एजेंट, प्रतिनिधि और एक भाग के अनुमत असाइन शामिल होंगे)।

और

..... (इसके बाद सेवा प्रदाता कहा जाता है" जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ समझा जाएगा और इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत असाइन शामिल होंगे, जिनका पंजीकृत कार्यालय ..... (दूसरे भाग का)। इस तरह के संघ के बावजूद, सेवा प्रदाता का प्रतिनिधित्व हर समय ..... जो इसके तहत दायित्वों के निष्पादन के लिए और इसके तहत निष्पादित की जाने वाली लेखा परीक्षा सेवा (सेवाओं) के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेगा।

कंपनी और सेवा प्रदाता को इसके बाद संयुक्त रूप से "पार्टियों" और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

प्रपठन:

1. कंपनी भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है;
2. सेवा प्रदाता गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा और/ लेखा परीक्षा और कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर प्रमाण पत्र जारी करने की

सेवाएं प्रदान करने की प्रथा में शामिल है और फॉर्म एमजीटी -7 और अन्य संबंधित सेवाओं को दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणन करता है।

3. कंपनी ने संदर्भ संख्या रेफ: ईसीजीसी/सीएस/F.No 70/01/2022-23 (इसके बाद "उक्त आरएफपी" के रूप में संदर्भित) के एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था, जिसमें सचिवीय लेखा परीक्षा और / लेखा परीक्षा और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं और / फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न के प्रमाणन के लिए ऑडिट किया गया था ईसीजीसी के वित्त वर्ष 2022-23 या असाइनमेंट की किसी भी विस्तारित अवधि के लिए कंपनी की ऑडिट किया गया था ।

4. सेवा प्रदाता ने उक्त आरएफपी में प्रदान की गई बोली प्रक्रिया को अर्हता प्राप्त कर ली है और कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा और / लेखा परीक्षा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र जारी करने और ईसीजीसी के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणन के लिए सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया है । यह किसी भी विस्तारित अवधि और सेवा प्रदाता लेखा परीक्षा के दायरे और इस अनुबंध में निर्धारित सभी शर्तों के अनुसार सेवा (ओं) प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इसलिए, इस अनुबंध में निर्धारित पारस्परिक वाचाओं, नियमों और शर्तों और समझ को ध्यान में रखते हुए, कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से पार्टियां निम्नानुसार सहमत हैं:

निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के हिस्से के रूप में बनाया और पढ़ा और समझा जाएगा अर्थात

क. वित्त वर्ष 2022-23 या किसी भी विस्तारित अवधि के लिए कंपनी के फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में सचिवीय लेखा परीक्षा और / लेखा परीक्षा और कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति और कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उक्त आरएफपी।

ख. बोलियां प्रस्तुत करने से पहले उक्त आरएफपी में सभी संशोधन, बोलीदाताओं द्वारा प्रश्न, यदि कोई हो तो

ग. ईसीजीसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र संख्या..... और उक्त नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट नियुक्ति पत्र की तारीख..... तक ईसीजीसी और सेवा प्रदाता के बीच सभी पत्राचारों का आदान-प्रदान किया गया।

घ. ईसीजीसी द्वारा सेवा प्रदाता को किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए, सेवा प्रदाता अनुबंध के सभी मामलों और प्रावधानों के अनुरूप लेखा परीक्षा असाइनमेंट (असाइनमेंट) को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए ईसीजीसी के साथ वाचाएं करता है। ईसीजीसी एतद्द्वारा सेवा प्रदाता को उक्त आरएफपी में निर्धारित तरीके से सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत लेखा परीक्षा असाइनमेंट (असाइनमेंट), शुल्क (ओं) के पूरा होने पर विचार करते हुए सेवा प्रदाता को भुगतान करने के लिए वाचाएं देता है।

1. परिभाषाएँ:

i. **अनुबंध** का अर्थ है ईसीजीसी और सेवा प्रदाता के बीच किए गए समझौते, जैसा कि पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध फॉर्म में दर्ज किया गया है, जिसमें सभी अनुलग्नक और परिशिष्ट और उसमें संदर्भ के लिए शामिल सभी दस्तावेज शामिल हैं।

ii. **संविदा मूल्य** का अर्थ है संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण और उचित निष्पादन के लिए संविदा के तहत सेवा प्रदाता को देय शुल्क।

iii. **अनुबंध की अवधि/अवधि से** तात्पर्य उस अवधि से है जिसके लिए ईसीजीसी द्वारा सेवा प्रदाता को नियुक्त किया गया है अर्थात् नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख से लेकर सचिवीय लेखा परीक्षा और/लेखा परीक्षा और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रदान की गई अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्टों) को संतोषजनक रूप से प्रस्तुत करने की तारीख तक और / कंपनी की फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणन वित्त वर्ष 2022-23 या किसी भी विस्तारित अवधि के लिए ।

iv. **सेवा प्रदाता** का अर्थ है सफल बोलीदाता जिसकी पात्र बोली स्वीकार कर ली गई है और जिसे कंपनी द्वारा अनुबंध देने की अधिसूचना प्रदान की गई है।

v. **सेवाओं का अर्थ** है सचिवीय लेखा परीक्षा और/ लेखा परीक्षा और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र जारी करने और / लेखा परीक्षा और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न की लेखा परीक्षा और प्रमाणन या किसी भी विस्तारित अवधि से संबंधित सेवाओं का पूरा दायरा जो सेवा प्रदाता को इस अनुबंध के तहत कंपनी को प्रदान करना आवश्यक है।

vi. **टीसीसी** का अर्थ है अनुबंध के नियम और शर्तें;

vii. **ऑडिट असाइनमेंट (ओं)** का अर्थ है या तो सचिवीय लेखा परीक्षा और / लेखा परीक्षा और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाण पत्र जारी करना और / वित्त वर्ष 2022-23 या किसी भी विस्तारित अवधि के लिए कंपनी के फॉर्म एमजीटी -7 दाखिल करने के साथ फॉर्म एमजीटी -8 में वार्षिक रिटर्न का लेखा परीक्षा और प्रमाणन।

viii. **सेवा सुपुर्दगी स्थान** का अर्थ ईसीजीसी के निर्दिष्ट स्थान से है जैसा कि सेवा प्रदाता को आरएफपी/करार/अधिसूचित में विनिदष्ट किया जा सकता है।

ix. **गोपनीय जानकारी** का अर्थ है कंपनी की सभी जानकारी जो सेवा प्रदाता को मौखिक या लिखित या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रकट की जाती है और इसमें शामिल होगा लेकिन व्यापार रहस्य, ज्ञान, तकनीक, प्रक्रियाओं, योजनाओं, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, व्यावसायिक विधियों, ग्राहक सूचियों, संपर्कों, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजना तकनीकों तक सीमित नहीं है। योजनाबद्धता, डिजाइन, अनुबंध, व्यापार योजनाओं, ग्राहकों, ग्राहक डेटा, व्यापार मामलों, संचालन, रणनीतियों, पद्धतियों, प्रौद्योगिकियों, कर्मचारियों, उपठेकेदारों, किसी भी और सभी समझौतों की सामग्री, सदस्यता सूची, फोटो फ़ाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध उद्धरण, दस्तावेज, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, किताबें, रिकॉर्ड, फ़ाइलें और कर रिटर्न, डेटा, सांख्यिकी, तथ्य, आंकड़े, संख्या, रिकॉर्ड, नियोजित पेशेवर, पत्राचार और अधिवक्ताओं, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, अटॉर्नी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, डॉक्टरों, लेखा परीक्षकों, सर्वेक्षकों, हानि मूल्यांकनकर्ताओं, जांचकर्ताओं, फोरेंसिक विशेषज्ञों आदि जैसे पेशेवरों से प्राप्त किया गया। राय, रिपोर्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत विचारित विशेषाधिकार प्राप्त संचार के दायरे में आने वाले सभी मामले, भेजे गए और प्राप्त कानूनी नोटिस, पॉलिसी फाइलें, दावा फाइलें, बीमा पॉलिसियां, उनकी दरें, लाभ, नियम, शर्तें, बहिष्करण, शुल्क, ग्राहक / ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों से पत्राचार, प्रस्ताव फॉर्म, दावा-फॉर्म, शिकायतें, सूट, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावा-नोट्स, कानून की अदालत, न्यायिक फोरम, अर्ध-न्यायिक निकायों, या किसी भी प्राधिकरण, आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्तावों, संचालन के तरीकों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और / या सेवाओं और कंपनी की व्यावसायिक जानकारी के समक्ष लिया गया बचाव।

2. सेवाओं की नियुक्ति और दायरा

क. कंपनी एतद्द्वारा सेवा प्रदाता को आरएफपी के अनुलग्नक - I के अनुसार कार्य के दायरे के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करती है, जो ..... (" **प्रभावी तिथि**") एक वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और सेवा प्रदाता नीचे निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है। सेवा करार, सेवा प्रदाता और कंपनी की पारस्परिक सहमति से, वार्षिक रूप से, समान शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों पर, नियमों या विनियमों या भूमि के कानूनों में परिवर्तन के अधीन, और चयनित बोलीदाता द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, बाद के दो वर्षों के लिए नवीकरणीय होगा।

ख. एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाला सेवा प्रदाता, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और समय-समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक प्रतिमाओं के अनुसार सेवा (सेवाएं) प्रदान करेगा।

3. भुगतान की शर्तें

i. प्रदान की गई सेवा (सेवाओं) के लिए शुल्क (ओं) समय-समय पर ई-मेल / पत्र द्वारा सूचित कार्य के दायरे के अनुसार सौंपे गए कार्य के उचित पूरा होने पर देय होगा।

ii. भुगतान भारतीय रुपये में किया जाएगा।

iii. आरएफपी के साथ संलग्न अनुलग्नक VII के तहत प्रदान किए गए फॉर्म के अनुसार, केवल निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

iv. ठेका देने पर अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

v. ईसीजीसी लिमिटेड की संतुष्टि के लिए असाइनमेंट पूरा होने के बाद सेवा प्रदाता से चालान प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा।

vi. यह ध्यान दिया जा सकता है कि ईसीजीसी अनुबंध के अनुसार सहमत राशि के अलावा किसी भी राशि / व्यय / शुल्क / यात्रा व्यय / बोर्डिंग व्यय / आवास व्यय / वाहन व्यय / विविध व्यय / जेब से बाहर खर्च का भुगतान नहीं करेगा।

vii. सभी भुगतान भुगतान के समय प्रचलित कर नियमों के अनुसार टीडीएस और किसी भी अन्य कर के अधीन होंगे।

viii. सभी भुगतान प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी को चालान जमा करने के खिलाफ होंगे।

4. आकस्मिक व्यय

चयनित बोलीदाता द्वारा उसकी वित्तीय बोली के अनुसार उद्धृत शुल्क (शुल्कों) के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। सभी आकस्मिक और सहायक व्यय जैसे यात्रा व्यय, आवास और बोर्डिंग आदि, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं और इसकी ऑडिट टीम के सभी संबंधित खर्च चयनित बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। कंपनी के अनुरोध पर मुंबई के बाहर यात्रा से संबंधित किसी भी खर्च को प्रतिपूर्ति के लिए माना जाएगा।

5. सेवा प्रदाता की जिम्मेदारियां

सेवा प्रदाता निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

i. कार्य के प्रासंगिक दायरे में निर्दिष्ट प्रकार और गुणवत्ता के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करना।

ii. कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों, निर्देशों, मैनुअल, जांच सूचियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं के संबंध में आगे की बारीकियों और आवश्यकताओं का अनुपालन करना, जैसा कि कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, यदि दिशानिर्देशों और समझौते में निर्धारित शर्तों के बीच संघर्ष होता है, तो समझौते में निर्धारित शर्तें प्रबल होंगी।

iii. सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों / कर्मियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना।

5 ए. मानकों का पालन/कानूनों का अनुपालन:

चयनित बोलीदाता सेवाएं प्रदान करने के दौरान भूमि के सभी लागू कानूनों और भारत के विभिन्न नियामक, वैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन और अनुपालन करेगा। सेवा प्रदाता आईसीएसआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यावसायिक मानकों का भी पालन करेगा।

कोई भी अन्य जिम्मेदारियां जो कार्य के दायरे में उल्लिखित सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं।

6. कंपनी की जिम्मेदारियां

कंपनी, अपनी ओर से, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

i. आरएफपी में निर्धारित आवश्यक जानकारी, दस्तावेज, आपूर्ति और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करके सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

ii. कंपनी के परिसर में तैनात सेवा प्रदाता के कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना;

iii. यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता की प्रक्रियाएं आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुपालन में हैं;

iv. सेवा प्रदाता को कुशलतापूर्वक सेवा (ओं) प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य सभी सामान्य कार्य करना।

7. सेवा प्रदान करने का स्थान

लेखा परीक्षा का संचालन और प्रासंगिक रिपोर्टों का प्रावधान मुंबई में ईसीजीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में वितरित किया जाएगा। सेवा प्रदाता को ईसीजीसी की आवश्यकता के अनुसार बैठकों की चर्चाओं/ प्रस्तुतियों के लिए यात्रा करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

8. बौद्धिक संपदा

i. कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी मैनुअल, दिशानिर्देश, दस्तावेज आदि को सेवा प्रदाता द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में माना जाएगा।

ii. सेवा प्रदाता इस समझौते के संबंध में विकसित या आपूर्ति की गई डिलिवरेबल्स में सन्निहित पद्धतियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों, विचारों, अवधारणाओं आदि में बौद्धिक अधिकारों सहित सभी अधिकारों, शीर्षक, रुचि को बनाए रखेगा।

iii. सेवा प्रदाता कंपनी को ऑडिट असाइनमेंट (ओं) के पूरा होने पर रिपोर्ट, दस्तावेज और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री आदि प्रदान करेगा और कंपनी ऐसी रिपोर्टों, दस्तावेजों और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों में सभी आईपीआर का मालिक होगी। सेवा प्रदाता द्वारा इस समझौते के तहत प्रदान की गई ऐसी सेवा (सेवाओं) से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी के स्वामित्व में होंगे।

iv. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डिलिवरेबल्स में कंपनी के पहले से मौजूद बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं तो उसमें अधिकार कंपनी के पास निहित रहेंगे।

v. एक पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अन्य पार्टी के ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, सेवा चिह्न और लोगो का उपयोग किसी भी तरह से नहीं करेगी, सिवाय इसके कि अन्य पार्टी द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गई है।

9. गैर प्रकटीकरण

i. कंपनी को सभी गोपनीय जानकारी का मालिक माना जाएगा।

ii. सेवा प्रदाता कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस सेवा अनुबंध के हिस्से के रूप में और आगे बढ़ाने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए करेगा।

iii. सेवा प्रदाता किसी भी तरह से गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या सहयोगियों के लिए हानिकारक है, और किसी भी अनधिकृत तीसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। सेवा प्रदाता किसी भी व्यक्ति को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उसके कर्मचारियों को जानने की आवश्यकता के आधार पर, जिन्होंने इस समझौते में निर्दिष्ट शर्तों के तहत इसे प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में सहमत किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण या पहुंच से पहले किया है। इस संबंध में, सेवा प्रदाता और ऐसे किसी भी व्यक्ति (ओं) के बीच किए गए किसी भी समझौते को तुरंत बाद कंपनी को अग्रेषित किया जाएगा। ऐसे व् यक्तियों को किसी भी गोपनीय सूचना का खुलासा करने से पहले सेवा प्रदाता उन् हें सूचना की गोपनीय प्रकृति और गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण से बचने के उनके दायित् व के बारे में सूचित करेगा।

iv. सेवा प्रदाता गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में उसी स्तर की सावधानी का उपयोग करेगा जो वह उपयोग करता है या अपनी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में उपयोग करता है, और किसी भी अनधिकृत या अनजाने में उपयोग से गोपनीय जानकारी की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा।

10. क्षतिपूर्ति और दायित्व की सीमा

i. डिफ़ॉल्ट पार्टी इस समझौते के उल्लंघन से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दायित्व, हानि, लागत और व्यय (उचित वकील की फीस सहित) से कंपनी को क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी, डिफ़ॉल्ट पार्टी, या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के जानबूझकर कदाचार। हालांकि, कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष या किसी तीसरे पक्ष की ओर से किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई किसी भी जानकारी या सामग्री पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, या दूसरे पक्ष या किसी तीसरे पक्ष की ओर से आपूर्ति की गई किसी भी जानकारी या सामग्री में किसी भी अशुद्धि या अन्य दोष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. यहां कही गई किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, विशेष या अनुकरणीय या अन्य नुकसान के लिए दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें व्यवसाय, लाभ, सूचना, व्यावसायिक रुकावट और इसी तरह की हानि शामिल है, लेकिन इसके तहत या उसके अनुसरण में दूसरे या किसी तीसरे पक्ष द्वारा सामना किया गया है, चाहे जो भी उत्पन्न हो, चाहे अनुबंध, टोर्ट या अन्यथा के तहत, भले ही उसी की संभावना के बारे में सलाह दी जाए।

iii. गोपनीयता के उल्लंघन और इस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को छोड़कर, इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, हानि, लागत, देनदारियों के लिए प्रत्येक पक्ष की कुल देयता चाहे वह नीचे, टोर्ट या अन्यथा इस अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता को कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल फीस के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

iv. ईसीजीसी की सेवा करने वाले सेवा प्रदाता को ऑडिट असाइनमेंट (असाइनमेंट) से संबंधित प्रमुख चिंता क्षेत्रों में ईसीजीसी की सूचना सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करना चाहिए, व्यापक क्षेत्र हैं:

1. डेटा और एप्लिकेशन गोपनीयता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदारियां।
2. सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक्सेस नियंत्रण और प्रशासन पर जिम्मेदारियां।
3. सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित या असाइन की जा रही कंपनी के डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अन्य परिसंपत्तियों के लिए कस्टोडियल जिम्मेदारियां।
4. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/उपकरणों की भौतिक सुरक्षा।

V. सेवा प्रदाता को विभिन्न क़ानूनों, श्रम कानूनों, स्थानीय निकाय नियमों, राज्य और केंद्र सरकार के निकाय क़ानूनों और सेवा प्रदाता पर लागू किसी भी अन्य नियामक आवश्यकताओं द्वारा लगाए गए वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना भी आवश्यक होगा, और ईसीजीसी और / या इसके लेखा परीक्षकों और / या इसके नियामक के रिकॉर्ड के लिए इसका उत्पादन करेगा।

11. वारंटी और वारंटी अस्वीकरण

a. सेवा प्रदाता एतद्द्वारा यह गारंटी देता है कि सेवा प्रदाता कार्यक्षेत्र के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा और इसके दौरान, वह व्यावसायिक क्षमता, देखभाल, कौशल, परिश्रम और विवेक की उसी डिग्री का प्रयोग करेगा जो सामान्य रूप से सेवा प्रदाता के क्षेत्र में पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

12. समाप्ति

i. इस समझौते की अवधि होगी ..... सालों से ..... ईसीजीसी निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

ii. अनुबंध के तहत उल्लंघन (प्रकृति में सामग्री) या सेवा समझौते के तहत दायित्वों वाले किसी अन्य बाद के दस्तावेजों के मामले में, कंपनी सेवा प्रदाता को सूचित करेगी और कंपनी की संतुष्टि के लिए उल्लंघन को सुधारने के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि देगी । यदि उल्लंघन को कंपनी की संतुष्टि के लिए ठीक नहीं किया जाता है, तो कंपनी अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

iii. सेवा प्रदाता स्वेच्छा से या अन्यथा परिसमापन में जाता है।

iv. यदि फर्म निर्दिष्ट समय सीमाओं के अनुसार असाइनमेंट (ओं) को पूरा करने में विफल रहती है और विस्तार की अनुमति दी जाती है, यदि कोई हो, तो इसे अनुबंध के भौतिक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। ईसीजीसी किसी भी देरी की स्थिति में इस समझौते को समाप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी अनुचित देरी के लिए परिसमापन क्षतिपूर्ति लगा सकता है। किसी सांविधिक या विनियामक प्राधिकारी द्वारा ईसीजीसी पर ऐसे किसी विलंब के कारण लगाए गए किसी भी दंड की स्थिति में, मौद्रिक दृष्टि से सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

v. यदि सेवा प्रदाता निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है या अनुबंध के निष्पादन में देरी करता है, तो ईसीजीसी इसके लिए एक महीने का नोटिस देकर उक्त आरएफपी की शर्तों के तहत मूल्यांकन के अनुसार अगले रैंक वाले बोलीदाता को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईसीजीसी अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में चूककर्ता सेवा प्रदाता को देय किसी भी देय राशि के भुगतान को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

vi. सेवा प्रदाता को केवल तभी समाप्त करने का अधिकार होगा जब ईसीजीसी निर्धारित समय के भीतर समझौते के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है।

13. ईसीजीसी की छुट्टी पर काम करना

शनिवार/रविवार/सार्वजनिक अवकाश/राष्ट्रीय अवकाश पर कार्य करने की अनुमति के लिए अनुरोध यदि आवश्यक हो, तो अवकाश की तारीख से 3 कार्य दिवस पहले cs@ecgc.in पर कंपनी सचिवालय विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। सेवा प्रदाता ऑडिटिंग टीम के सदस्य का विवरण सेवा वितरण स्थान पर

अग्रिम रूप से प्रदान करेगा। टीम का सदस् य निर्धारित तिथि और समय पर दौरा करेगा और मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र/अनुमति पत्र दिखाएगा।

14. रिपोर्टिंग पद्धति:

चयनित बोलीदाता कंपनी/लागू प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

15. विविध प्रावधान

i. संविदा के पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि संविदा, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज, उसके बाद जारी किए गए किसी परिशिष्ट या शुद्धिपत्र और उसके लिए पूर्ण अनुलग्नक पार्टियों के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करते हैं और इससे पहले पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए किसी भी पूर्व प्रस्ताव, समझ, पत्राचार या अन्य दस्तावेजों का स्थान लेते हैं। इस अनुबंध को केवल दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित लिखित समझौते द्वारा संशोधित, पूरक या संशोधित किया जा सकता है।

ii. सभी नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार जो इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए जाने की आवश्यकता है, उपर्युक्त पतेदार को संबोधित लिखित रूप में होंगे और प्राप्त होने पर विधिवत दिए गए समझे जाएंगे। नोटिस ऊपर दिए गए पते और इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं के ध्यान में, या ऐसे अन्य पते या व्यक्ति (ओं) को भेजे जाएंगे, जो पार्टियां समय-समय पर लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं।

iii. सेवा प्रदाता इस बात से सहमत और वचन देता है कि उन्होंने सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से किसी भी तीसरे व्यक्ति को हमारे प्रस्ताव / प्रस्ताव / बोली / अनुबंध के प्रसंस्करण और / या अनुमोदन में शामिल ईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी को पेशकश, वादा या दिया है, न ही पेशकश, वादा या देगा, किसी भी तीसरे व्यक्ति को कोई सामग्री या कोई अन्य लाभ जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/संविदा के प्रसंस्करण और/या अनुमोदन से पहले या बाद में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए।

iv. इस अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद एक वर्ष के दौरान, पार्टियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पार्टी के किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को रोजगार के लिए मांगने, प्रोत्साहित करने या प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करेंगी, जब तक कि दूसरे पक्ष से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न हो; हालांकि, पूर्वगामी उन कर्मचारियों

की भर्ती पर लागू नहीं होगा जो डिजिटल / प्रिंट विज्ञापनों या सामान्य परिसंचरण के अन्य विज्ञापनों का जवाब देते हैं जो विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को लक्षित नहीं हैं।

v. कंपनी और सेवा प्रदाता के बीच संबंध पूरी तरह से एक स्वतंत्र ठेकेदार का है और संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर है। इस समझौते में कुछ भी नहीं, और पार्टियों के बीच व्यवहार करने का कोई कोर्स, एक रोजगार या एजेंसी संबंध या एक पार्टी और दूसरे पक्ष या दूसरे पक्ष के कर्मचारियों या ग्राहकों या एजेंटों के बीच साझेदारी बनाने के लिए नहीं माना जाएगा।

vi. यह समझौता किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना असाइन नहीं किया जाएगा।

vii. यदि इस समझौते के किसी भी प्रावधान को अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो इस तरह के प्रावधान को अनुबंध से हटा दिया जाएगा और इस अनुबंध के शेष प्रावधान पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे।

viii. इसके तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या देरी करने में किसी भी पक्ष की विफलता को इसकी छूट नहीं माना जाएगा, न ही कोई एकल या आंशिक अभ्यास इस तरह के या किसी अन्य अधिकार के किसी भी आगे या अन्य अभ्यास को रोक देगा।

ix. किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति या रद्दीकरण इस अनुबंध में या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारियों या दायित्वों से किसी भी पार्टी को मुक्त नहीं करेगा जो प्रदर्शन किया जाना बाकी है या उनकी प्रकृति से ऐसी किसी भी समाप्ति या रद्दीकरण के बाद लागू होने का इरादा होगा।

x. आरएफपी, बाद में दिए गए अनुबंध या अनुबंध के नियमों और शर्तों को छूने या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले मतभेदों के किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए मुंबई में अदालतों के पास अकेले अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

16. अप्रत्याशित घटना:

संविदा के नियमों और शर्तों के प्रावधानों के बावजूद, सेवा प्रदाता परिसमापन क्षति, या डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस हद तक, कि, प्रदर्शन में देरी, या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में अन्य विफलता, अप्रत्याशित घटना का परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "फोर्स मेजर" का अर्थ सेवा प्रदाता के नियंत्रण से परे एक घटना है और इसमें सेवा प्रदाता की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और यह अनुमानित नहीं है। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांतियों, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध आदि के कृत्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है, तो सेवा प्रदाता तुरंत ईसीजीसी को ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा। जब तक अन्यथा ईसीजीसी द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है, सेवा प्रदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगा जहां तक यथोचित व्यावहारिक है, और फोर्स मेजर घटना द्वारा रोका नहीं गया प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा।

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस समझौते के लिए अपने-अपने हाथों को पहले निर्धारित दिन और तारीख को निर्धारित किया है और सदस्यता ली है।

के लिए और की ओर से	**के लिए और की ओर से**
ईसीजीसी लि.	**सेवा प्रदाता**
"कंपनी" पूर्वोक्त,	**"सेवा प्रदाता" पूर्वोक्त,**
सील और स्टांप के साथ अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से	**सील और स्टांप के साथ अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से**

नाम:

पद का नाम: जीएम और सीएस

नाम:

औहदा:

गवाहों:

(नाम और हस्ताक्षर)

(नाम और हस्ताक्षर)

2.

(नाम और हस्ताक्षर)

2.

(नाम और हस्ताक्षर)